

हिमन्त लाल पिता गोपीनाथ बनाम श्री अश्विनी जगदीश तट्टी बनाम

लाल वि. पं. देवा (रा. वि. दादा) लखनऊ

- वादी

- प्रतिवादी

21/2021 (UACMS No-2021/133)

28 RAS

वादी पत्र द्वारा वादी की ओर से वकील श्री अश्विनी जगदीश तट्टी की ओर प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में यह वाद आज

को अधोहस्ताक्षरकर्ता को समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिफ्री दी

है कि मांजा पण्डेडा की शा.न. 401 में वे 0.19 हेक्टर अश्विनी जगदीश तट्टी के उत्तर दिशा में वादी के नाम खातेदारों के घोषित की गयी है शा.न. 400 के 0.19 हेक्टर अश्विनी जगदीश तट्टी के दक्षिण दिशा में स्थित है उद्योगों के नाम खातेदारों से डिक्लेयर करते हुये बिलानाम सरकार किये जाने का आदेश दिया गया है.

वाद के खर्च X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सहित द्वारा X

जावे। यह आज दिनांक 12/07/22 को मेरे हस्ताक्षर से और मोहर अदालत से जारी की गई।



(विदुष बाबा रागावन) उपखण्ड अधिकारी एवं RAS सहायक कलेक्टर, बड़ीसादड़ी

| वादी | राशि | प्रतिवादी | राशि |
|-----------------------------|------|------------------------------|------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प | | 2. आवेदन पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3. फ्लीडर फीस | |
| 4. फ्लीडर फीस | | 4. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प | |